ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3038/2000/पाली गिरधारी बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री आर0के0जायसवाल, सदस्य

उपस्थितः–

श्री ओ0एल0दवे, अधिवक्ता अपीलार्थी।

श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

श्री अमृतपाल सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

––

निर्णय

दिनांकः 12–07–18

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा अपील सं0 61/1998 में पारित किए गए आदेश दिनांक 15–07–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी गिरधारी एवं मोहन के पिता एवं लक्ष्मीबाई के पति तथा तरतीबी प्रत्यर्थी नारायण, जसवन्त एवं राजू के पिता एवं मु0 बादामी के पति भंवरलाल का आराजी पर पुराना कब्जा काश्त होने के कारण दोनों ने भूमि आवंटन हेतु प्रा0 पत्र पेश किया, जिस पर बाद जाँच कार्यवाही प्रत्येक को खसरा नं0 610 में से 11 बीघा 5 बिस्वा अर्थात खसरा नं0 610 की 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 30–06–65 को किया गया। तहसीलदार, पाली ने अपीलार्थी का पुराना कब्जा होना प्रमाणित पाते हुए नियमन की कार्यवाही की व खसरा नं0 610 की कुल भूमि भी 22 बीघा 10 बिस्वा ही थी जो भंवरलाल व पन्नालाल को आवंटित की तथा आवंटन के बाद आदेश सं0 51 दिनांक 28–01–66 से नामान्तरकरण सं0

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3038/2000/पाली गिरधारी बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	321 के जरिये खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिए गए। तत्पश्चात् किसी आदेश सं0 173 दिनांक 25–03–71 का हवाला देते हुए नामान्तरकरण सं0 326 भरा गया और आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया गया जबकि दिनांक 25–03–71 के आदेश में किसी भी जगह खसरा नं0 610 का हवाला नहीं है और न उसके संबंध में कोई आदेश पारित किया गया। नामान्तरकरण सं0 326 की आड़ में अपीलार्थीगण की आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया गया और खसरा सं0 610 में से 5 बीघा भूमि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, पाली को 33/11 के वी एब स्टेशन के निर्माण के लिए आवंटन दिनांक 23–10–98 को कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 15–07–2000 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई है। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध्ध तथ्यों का गलत अर्थ निकालते हुए अपना निर्णय प्रदान किया है जबकि जो जनरल आदेश की फरिश्त दी गई है उसमें कहीं भी खसरा नं0 610 का हवाला नहीं है फिर भी खसरा नं0 610 के निरस्त होने की बात को मानने में महत्वपूर्ण भूल की है। उनका कथन था कि किसी भी जनरल आदेश से आवंटन निरस्त नहीं होते है। उनका तर्क था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को कोई नोटिस नहीं दिया तथा जिला कलक्टर ने अपीलार्थीगण को बिना सुने उन्हें	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3038/2000/पाली गिरधारी बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आवंटित भूमि, जिसकी खातेदारी अपीलार्थीगण के नाम है, जिसे निरस्त करने में भूल की है तथा खातेदारी निरस्त करने का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं था। उनका तर्क था कि अपीलार्थी को आवंटन किया गया तब से वे इस भूमि पर काश्त कर रहे है अर्थात आराजी आवंटन हेतु खाली नहीं होने के बावजूद विद्युत मण्डल के पक्ष में आवंटित की गई अर्थात क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग कर इस प्रकार का आदेश दिया गया। उनका तर्क था कि खसरा नं0 610 के पुराने खसरा नं0 1866 एवं खुरू से इस खसरे के जो भी नंबर रहे है, इन पर कब्जा प्रार्थी का रहा है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः द्वितीय अपील स्वीकार की जावें। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उक्त रकबा अपीलार्थी की खातेदारी का नहीं होकर सिवायचक दर्ज है, ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर पाली द्वारा विद्युत विभाग को 33 के बी स्टेशन स्थापित करने हेतु आवंटन आदेश दिनांक 23–10–98 को किया गया तथा उक्त रकबा में राजकीय प्रयोजनार्थ आवास निर्माण हेतु भी आवंटन किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 3 से 6 ने अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनों से सहमति प्रकट करते हुए तर्क दिया कि द्वितीय अपील स्वीकार की जावें। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित आदेश का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3038/2000/पाली गिरधारी बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पाली चक–2 के खसरा नं0 610 में से 5 बीघा भूमिक का आवंटन 33 केवी सब स्टेशनकी स्थापना हेतु राजस्व विभाग की अनुमति के उपरान्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा दिनांक 23–10–98 को आवंटन किया गया। उक्त खसरा नं0 610 का कुल रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा गैर मु0 नाड़ी होकर राज्य सरकार को प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आवंटन किया गया तथा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस के अनुसार उक्त रकबा में 5 बीघा भूमि पूर्व में आरक्षित की गई है। अपीलार्थी को विवादित रकबा संवत् 2022 में आवंटित किया गया था तथा नामान्तरकरण सं0 321 स्वीकृत किया गया। जिला कलक्टर, पाली द्वारा दिनांक 05–12–73 को अपीलार्थीगण के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया गया है। यद्यपि उक्त आवंटन निरस्त करने बाबत् पर्याप्त अभिकथन प्रस्तुत नहीं किए गए है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में खसरा नं0 610 का रकबा गैर मु0 नाड़ी दर्ज होने के आधार पर जिला कलक्टर द्वारा विद्युत विभाग के पक्ष में आवंटन किया गया है, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने पूर्ण रूप से विधिसम्मत् माना है तथा अपीलार्थीगण को विवादित रकबे का व्यथित पक्षकार भी नहीं माना है। हमारी राय में अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालयों ने विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति का विवेचन व विश्लेषण करते हुए उचित निर्णय प्रदान किया है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है। फलस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली का निर्णय दिनांक 15–07–2000 यथावत रखा जाता है।	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3038/2000/पाली गिरधारी बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय की सूचना योग्य अधिवक्तागण को दी जावें व निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावें तथा पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भेजी जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (आर0के0जायसवाल) सदस्य	